

सहदेव

बनाम

सुमेरसिंह

वाद अन्तर्गत धारा 188 ,53 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 14 सन-2017

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
2018	<p>वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा ,188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.02.2018 को पेश हो।</p> <p><i>33/18</i> <del>वकील वादी व वादीया के निवेदन पर प्रभावली पेशी में जो गैर वादीया व उक्त अधिवक्ता व निवेदन किया की वादीयान व प्रतिवादीगण का भावस में राजीबाना व गया है इसलिये मैं यह वाद/प्रथम पत्र नहीं चलावा चाहते है रूपाश्री किया जाते वादी के वाद नहीं चलावे के कारण वाद वादी रूपाश्री किया जाते है प्रभावली नम्बर 14 सन 17 की जावर दायित्व दफ्तर है।</del></p> <p><del>आदेश मर द्वारा चलावाया जावर वरर ईगलार सुनया गया।</del></p>	<p>32 एव</p>